निगरानी / टीए / 5937 / 2022 / बाड़मेर
पेम्पोदेवी बनाम चम्पादेवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थितः– श्री डूंगर सिंह राठौड़, अभिभाषक प्रार्थी श्रीमती रेखा गोयल, अभि0 अप्रार्थी सं.1, 2 , 3 की ओर से संजू विश्नोई अभि0 अप्रार्थी सं.4, 5, 6 की ओर से दिनांक : 14–10–2025 निर्णय यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी द्वारा प्रकरण संख्या 151 / 2015 में पारित आदेश दिनांक 19–09–2022 के विरूद्ध धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि वादी / अप्रार्थी सं.1 से 3 ने उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के न्यायालय में प्रतिवादी / प्रार्थीगण व प्रतिवादी / अप्रार्थी सं.4 से 7 के विरूद्ध धारा 88, 40, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा धारा 6 व 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। दौराने विचारण प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी सं.1 से 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 19–09–2022 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी माननीय मण्डल के समक्ष पेश की गई है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट अंकित किया कि खेत खसरा नं. 479 / 1 रकबा 165 बीघा मौजा बांकाणी सारणों की ढाणी के दो अलग–अलग स्थान पर क्रमशः 50 बीघा व 15 बीघा भूमि का पंजीबद्ध दान पत्र सिमरथा ने अपनी पुत्रवधु प्रार्थीया पेम्पोदेवी को भेंट कर दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10–03–2008 को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। जिसका नामान्तरकरण भी नामान्तरकरण सं.322 दिनांक 10–05–2013 को पारित होकर तरमीम होकर प्रार्थीया बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा नं.10 में बिनाय दावा किस तारीख, किस साल एवं किस स्थान पर एवं बिनाय दावा क्यों पैदा हुआ का अभिवचन नहीं किया गया है। जिससे उक्त वाद काबिल खारिज है। उक्त तथ्य वाद पत्र के पैरा सं.3 को देखने मात्र से साबित हो रहा था कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में ऐसा कुछ भी अंकित नहीं है तथा वाद पत्र बिना सही वाद कारण अंकित किये प्रस्तुत किया गया जो वाद कारण के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज योग्य था फिर भी इन सब बिन्दुओं का बिना विवेचन किये तथा बिना वाद कारण के वाद पत्र प्रस्तुत होने के बावजूद प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधि विपरीत है। वादग्रस्त भूमि स्व0 सिमरथा की स्व अर्जित खातेदारी भूमि है जिसमें अप्रार्थी सं.1 से 3 को कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते तथा सिमरथा ने वादग्रस्त भूमि में से 65 बीघा भूमि दो अलग–अलग स्थान पर प्रार्थीया को जरिये पंजीबद्ध दान पत्र दान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया प्रार्थीया के हक में हुए दान पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा नहीं की जा सकती न ही वाद सुना जा सकता है तथा ना ही स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। उक्त समस्त बिन्दुओं को अनदेखा कर गलत एवं अविधिक रूप से निगरानीधीन आदेश पारित किया है, जो निगरानी के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–09–2022 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.1 से 3 द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जावें। अभिभाषक अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश को समुचित बताते हुए निगरानी सारहीन होने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2025 (1) RRT 609, 2020 RBJ 291, 2024 (2) RRT 1038, 2024 RBJ 446, 2023 RBJ 21 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 19–09–2022 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज किया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के माध्यम से जो बिन्दु उठाया है, वह विधि एवं साक्ष्य का मिश्रित बिन्दु है। जिसको साक्ष्य के माध्यम से ही निर्णित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाये गये सारे तथ्यों का निस्तारण प्रकरण में तनकियात कायम कर एवं साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना उचित मानते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्णतया सहमत हैं एवं उसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	